संख्या – 2997/07-27-सिं.-03-02 ...

...षक,

मनजीत सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

...वा में,

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग/

प्रमुख अभियन्ता, (यांत्रिक)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ।

...चाई अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 16 अक्टूबर, 200...

...: सिंचाई विभाग के अधिकारियों को क्रय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

...होदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उद्योग विभाग के शासना... संख्या – 2177एल/18-7-94-15(एस.पी.)/92, दिनांक 17.10.94, जिसमें मात्रा अनुबंध ...न्तर्गत उद्योग निदेशालय (सामग्री क्रय अनुभाग) के माध्यम से क्रय करने की व्यवस्था ... ...केन्द्रित करके सिंचाई विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को सीधे क्रय करने का निर्णय ल... ...या है, को संज्ञान में लेते हुए, कालान्तर में सामग्री/उपकरण के मूल्य में हुई वृद्धि के दृष्टिग... ...ासनादेश संख्या-439सख/ 91-27-सिं-3-2एम/84, दिनांक 09.05.91 को अतिक्रमण क... ...ए राज्यपाल महोदय सिंचाई विभाग के विभिन्न अभियंत्रण अधिकारियों, जिसमें सिंचाई कार्यशा... ...ण्डल के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, के सीधे क्रय करने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार ... ...कृत करते हैं। सामग्री एवं उपकरणों के क्रय में शासन द्वारा प्रसारित मूल्य वरीयता स...

आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। [illegible]
क्रय संगठन है, पर यह आदेश लागू नहीं होंगे:

टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित करने के उपरान्त क्रय के सीधे अधिकार

1	सहायक अभियन्ता बिना कोटेशन/निविदा मांगे केवल आपातकालीन स्थिति या बीमार (हॉस्पिटलाइज्ड इक्विपमेन्ट) उपकरण हेतु	रु. 1500.00 तक किसी भी कैलेण्डर माह में।
2	अधिशासी अभियन्ता	रु. 40000.00 तक किसी भी कैलेण्डर माह में।
3	अधीक्षण अभियन्ता	रु. 1,00,000.00 तक किसी भी कैलेण्डर माह में।
4	अधीक्षण अभियन्ता (वर्कशाप सर्किल)	रु. 3,00,000.00 तक किसी भी कैलेण्डर माह में। स्वामित्व प्रकार की वस्तुओं के लिए वर्तमान शर्तों के अधीन एक कैलेण्डर माह में रु. 1,00,000.00 तक।

स्वामित्व प्रकार की सामग्री का क्रय भी मशीनों के मूल निर्माताओं या उनके विशेषाधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों से एक कोटेशन के आधार पर तथा उद्योग निदेशक, उ.प्र. अथवा महानिदेशक, आपूर्ति एवं निस्तारण, भारत सरकार द्वारा निर्गत दर – अनुबन्ध के अंतर्गत सामग्री का क्रय उपर्युक्त क्रमांक 1 से 4 तक के अधिकारियों द्वारा प्रस्तर – 1 अ में उल्लिखित वित्तीय अधिकारियों की सीमा के अन्तर्गत किसी भी केण्डर माह में किया जा सकता है।

सहायक अभियन्ता अपने अधिशासी अभियन्ता को तथा अधिशासी अभियन्ता अपने अधीक्षण अभियन्ता को त्रैमासिक क्रय अभिलेख भेजेंगे। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता अपने मुख्य अभियंता को अपने क्रय अधिकारों के अन्तर्गत एवं उनके अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा क्रय किये गये सामानों का त्रैमासिक परिलेख भेजेंगे।

ह – केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति संगठन प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भण्डार, पुर्जे एवं उपकरण हेतु सीधे क्रय अधिकार।

ह – 1 निविदा आमंत्रित करने के पश्चात भण्डार, पुर्जे एवं उपकरण हेतु सीधे क्रय अधिकार:–

(1)	अधिशासी अभियन्ता (सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति संगठन)	रु. 2,00,000.00 तक
(2)	अधीक्षण अभियन्ता (सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति संगठन)	रु. 20,00,000.00 तक
(3)	मुख्य अभियन्ता (सज्जा)	रु. 1,50,00,000.00 तक
(4)	विभागीय क्रय समिति	रु. 6,00,00,000.00 तक
(5)	राज्य सरकार	पूर्ण अधिकार

उद्योग निदेशक, उ.प्र. अथवा महानिदेशक, आपूर्ति एवं निस्तारण, भारत सरकार द्वारा निर्गत दर अनुबन्ध के अन्तर्गत [illegible] पूर्ण अधिकार होगा।

[illegible] प्रकार की सामग्री का [illegible]

(1) अधिशासी अभियन्ता (सज्जा एवं मण्डार आपूर्ति संगठन) — [illegible]

(2) अधीक्षण अभियन्ता (सज्जा एवं मण्डार आपूर्ति संगठन) — रु. 1,00,000.00 तक

(3) मुख्य अभियन्ता (सज्जा) — रु. 12,00,000.00 तक

(4) विभागीय क्रय समिति — रु. 30,00,000.00 तक

(5) राज्य सरकार — पूर्ण अधिकार

ब – 3 आपातकालीन स्थिति में कुछ चुने हुये आपूर्तिकर्ताओं से लघु समय की सूचना निर्गत कर मण्डार पुर्जे एवं पकरण के क्रय अधिकार।

(1) अधीक्षण अभियन्ता (सज्जा एवं मण्डार आपूर्ति संगठन) — रु. 2,00,000.00 तक

(3) मुख्य अभियन्ता (सज्जा) — रु. 6,00,000.00 तक

(4) विभागीय क्रय समिति — रु. 12,00,000.00 तक

(5) राज्य सरकार — पूर्ण अधिकार

नोट:- जो फर्में पूर्ति एवं निपटान निदेशालय, नई दिल्ली अथवा उद्योग निदेशालय, कानपुर [illegible] पंजीकृत हैं, उनसे आपातकालीन वस्तुओं के क्रय हेतु उनको अल्प समय देकर [illegible] मांगे जा सकते हैं।

उपर्युक्त अधिकार उक्त सीमा के अतिरिक्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 5 भाग–1 [illegible] परिशिष्ठ – (B) में प्रदत्त अधिकारों तथा समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रदत्त [illegible]कारों को प्रतिस्थापित/अतिक्रमित नहीं करेंगे।

2. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि:-

(1) यदि किसी कारणवश सामग्री/उपकरण का क्रय न्यूनतम वैध निविदा से करने का प्रस्ताव नहीं है तो इसका अनुमोदन निकटतम उच्चाधिकारी से लिया जाये।

(2) जिन सामानों का निर्माण सिंचाई कार्यशालाओं द्वारा किया जाता है, उनका क्रय केवल [illegible] कार्यशालाओं से किया जाये।

(3) टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं– ए–1–1173/दस–2001–10 (55)/2000, दिनांक 27 अप्रैल, 2001, शासनादेश [illegible] ए–1–464/दस–2004–10(55)/2000, दिनांक 04 नवम्बर, 2004 तथा सं– ए–1–1010/दस–2005–10(55)/2000, दिनांक 30 जून, 2006 में प्रसारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

3 विभागीय क्रय समिति का [illegible]

(1) प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) / [illegible]
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) सचिव, सिंचाई विभाग उ.प्र. शासन द्वारा अधिकृत — [illegible]
प्रतिनिधि (उपसचिव/अनुसचिव से कम स्तर का अधिकारी न हो)

(3) सचिव, वित्त विभाग उ.प्र. शासन द्वारा अधिकृत — सदस्य
प्रतिनिधि (उपसचिव/अनुसचिव से कम स्तर का अधिकारी न हो)

4) मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रवन्ध) — सदस्य

5) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता — सदस्य

6) निदेशक, उद्योग विभाग, उ.प्र. कानपुर — सदस्य
(संयुक्त निदेशक से कम स्तर का अधिकारी न हो)

7) वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, — सदस्य
सिंचाई विभाग, उ.प्र. लखनऊ

8) अधीक्षण अभियन्ता (सज्जा) — सदस्य

टिप्पणी:– विभागीय क्रय समिति में गणपूर्ति (कोरम(हेतु 6 सदस्यों का होना अपरिहार्य है प्रमुख अभियन्ता अथवा मुख्य अभियन्ता बैठक की अध्यक्ष हेतु उपस्थित रहेंगे।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

यह आदेश वित्त लेखा अनुभाग – 2 के अशासकीय संख्या – ए–2–यू.ओ –84/दस–2007, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनजीत सिंह)

प्रमुख सचिव